



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
प्लॉट: ए-12/1, एम आई डी सी, एल बी एस मार्ग,
वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्र-400604
Sub Regional Office, Thane
Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate
Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604
Telephone- 022-69074700 to 799, Fax-25806131
Email: dir-thane@esic.gov.in, Website: esic.gov.in

फा.सं.-ओ.एल.-34-हिं.प्र.प्रो.पुरस्कार

दिनांक 09-01-2026

परिपत्र

विषय: निगम के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लागू की गई हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र सं. ए.-49/16/2/2021-रा.भा. दिनांक 08-01-2026 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निगम के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लागू की गई हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना वर्ष 2026 में भी लागू है।

साथ ही, वर्ष 2025 (1 जनवरी से 31 दिसंबर तक) के लिए क.रा.बी. निगम हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टियां निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में भरकर इस शाखा को **दिनांक 10-02-2026** तक अवश्य भिजवा दें, ताकि पुरस्कार-स्वीकृति संबंधी अगली कार्रवाई की जा सके। प्रमाण-पत्र जारी करते समय संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कर्मचारी के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, वस्तुतः उसने नियमानुसार 75% कार्य हिंदी में किया है। बिना प्रमाण-पत्र वाले तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक : प्रमाण-पत्र

(गीतांजलि अंतिल)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. महानिदेशक (राजभाषा), क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली
2. सभी अधिकारी/सभी शाखाएं, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
3. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
4. आई.सी.टी. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग-प्रोत्साहन) योजना के लिए प्रविष्टि प्रपत्र

अधिकारी / कर्मचारी का नाम :

पदनाम :

कर्मचारी कोड :

मोबाइल नं. एवं ईमेल पता :

शाखा :

(01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025)

अधिकारी / कर्मचारी द्वारा घोषणा-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान मैंने टिप्पण / आलेखन में निर्धारित प्रतिशतता में अर्थात् 75% कार्य कार्यालयी कार्य हिंदी में किया है। इस अवधि में मैंने न तो केवल टंकण / डायरी-डिस्पैच का कार्य किया है और न ही राजभाषा शाखा में तैनात था/थी।

दिनांक:

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक अधिकारी (प्रति हस्ताक्षर)